


Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

| | | | |
|---|---|---------|--|
| अज अदालत | न्याया० अति० संभागीय आयुक्त | मुकाम | कोटा |
| श्याम सुन्दर जोशी श्आ० केसरीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा | | बनाम | राज० सर० जरिये तह० दीगोद एंव मदनलाल आ० किशनलाल जाति ब्राहमण नि० कंवरपुरा तह० दीगोद वगेरा |
| किस्म मुकदमा | अपील अन्तर्गत धारा 75 भू० राजस्व अधिनियम | केस नं० | 15/2021 |

जिला- कोटा

| तारीख हुकम | | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 26.8.2021 | <p>अपीलार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम नागर के अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत रेस्पों के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई। रिपोर्ट सरिस्ता एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलार्थी को सुना गया। अभिभाषक अपीलार्थी ने नियमित दावा पेश कर देने से प्रस्तुत अपील विद्धो करने का अनुरोध करते हुये अपील मिमो के पुस्त पर उक्त कथन अंकित कर हस्ताक्षर किये। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली आज बहस एडमिशन की स्टेज पर जेरकार है। अतः न्यायहित में उपरोक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील " एज विद्धो एज" खारिज की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, निर्णय शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> | <p style="text-align: right;">  (अनुराग भार्गव) अति०संभागीय आयुक्त कोटा </p> |